चिंता | कन्या छात्रावास की छात्राओं को जांच टीम ने दी धमकी

अगली बार शिकायत की तो निपटाकर जाएंगे..

नवभारत,जबलपुर। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास की सैकड़ों छात्राओं ने सोमवार को अधीक्षिका के दुर्व्यवहार, उनके चरित्र पर उंगली उठाने और साफ-सफाई में लापरवाही जैसी गंभीर शिकायतों को लेकर संभागीय उप-आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग और सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जबलपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर अधीक्षिका के खिलाफ कार्यवाही करने मांग की थी। जिसके बाद जांच करने आई टीम ने ही शिकायत को लेकर छात्राओं को धमकी दे डाली, जिसमें टीम में शामिल महिला अधिकारी का कहना था कि दोबारा शिकायत पहुंची तो अगली बार निपटाकर जायेंगे।

सोमवार को ज्ञापन देने पहुंची थी छात्राएं

छात्राओं का डर और भविष्य की चिंता

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस वाक्या के बाद छात्रावास की छात्राएं डर के माहौल में रह रही हैं, और उन्हें चिंता है कि अपनी आवाज उठाने पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है।

इस मामले में अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शहर के आदिवासी संगठनों ने इसे छात्राओं की अस्मिता से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो पूरे आदिवासी समाज द्वारा तेज आंदोलन किया जाएगा।

किसी न किसी बहाने से बाहर करने की धमकी

सूत्रों ने बताया कि छात्रावास में जांच करने पहुंची टीम ने छात्राओं से कहा कि 'अगर मैडम की शिकायत दोबारा की गई तो सभी छात्राओं को इसी सत्र में किसी न किसी बहाने से बाहर कर दिया जाएगा।' जांच टीम की धमकी के बाद टीम का ये बयान छात्राओं के मन में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर गया है।

सहा .आयुक्त ने भी किया था अभद्र भाषा का उपयोग

गौरतलब है कि सोमवार को जब छात्राएं अपनी कुछ परेशानियों को लेकर जब सहायक आयुक्त आदिम जाति के पास पहुंची थी तो उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय सहायक आयुक्त ने उन्हें ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए थे, उनका कहना था कि तुम लोग तमाशा करने आती हो। छात्राओं का कहना था कि वे तो अपनी समस्याएं सुनाने गई थीं, उल्टे उन्हें ही प्रताड़ित कर दिया गया था।

कोर्ट को गुमराह करने वाले टीआई पर दस हजार का जुर्माना

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायालय को गलत जानकारी देना बेहद गंभीर मामला है। जस्टिस एसएन भट्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि जांच में सटीकता और जिम्मेदारी अनिवार्य है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। उक्त मत के साथ न्यायालय ने जबलपुर के शहपुरा टीआई प्रवीण धुर्वे पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निर्देशित किया है वह एक सप्ताह के अंदर यह राशि मध्यप्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करे। इसक साथ ही, याचिकाकर्ता को जमानत दे दी।

दरअसल जबलपुर जिले के बेलखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कूड़ाकला निवासी प्रदीप सेन पर आरोप था कि उसने अपने डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर कई लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए। इस मामले में उसे 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पहले दो बार उसकी जमानत अर्जी वापस लेने के कारण खारिज हो चुकी थी। तीसरी बार उसने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने शहपुरा टीआई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जवाब देने को कहा था। टीआई प्रवीण धुर्वे ने कोर्ट में पेश होकर जवाब दिया कि त्रुटिवश जिस आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया गया था, वह दरअसल किसी अन्य व्यक्ति का था, जिसका नाम आरोपी से मिलता-जुलता था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए टीआई पर जुर्माना लगाया।

जेल से पैरोल में छूटकर फरार हुए आरोपी छह माह की सजा

नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय कारागार से पैरोल में छूटकर फरार हुए बंदी श्याम बर्मन को न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी प्रियम कुमार सक्सेना की अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है।अदालत को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष समाधिया ने बताया कि एक प्रकरण के मामले में आरोपी श्यामू बर्मन नेताजी सुभाषच्रदं बोस केन्द्रीय कारागार जबलपुर में सजा भुगत रहा था। जिसे 9 अक्टूबर 2017 को पैरोल पर छोड़ा गया था, जो पैरोल अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी शेष सजा भुगतने जेल में उपस्थित न होकर फरार हो गया। जेल प्रशासन की सूचना पर आरोपी के खिलाफ सिविल लाईन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

महिला आरक्षक और प्राइवेट गुर्गे को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते दबोचा

- मुंबई के ट्रांसपोर्टर को बनाया निशाना, हाईवे में एंट्री के बदले मांगी 4,500 की घूस

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर-नागपुर नेशनल हाईवे पर एंट्री के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का बुधवार को जबलपुर लोकायुक्त ने पर्दाफाश किया है। लोकायुक्त की टीम ने बरगी के पास ट्रैप कार्रवाई कर आरटीओ आरक्षक श्वेता अहिरवार और उसके लिए वसूली करने वाले प्राइवेट गुर्गे मोहित साहू को 4,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ने मुंबई के ट्रांसपोर्टर को निशाना बनाया था हाईवे में एंट्री के बदले में घूस मांगी थी।

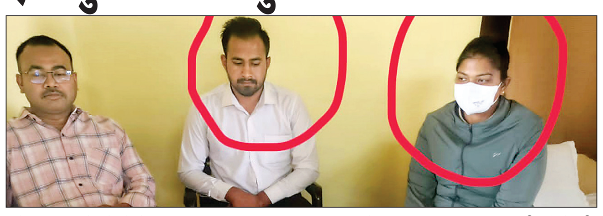

लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। लोकायुक्त एसपी अंजूलता पटले ने बताया कि प्रशांत दत्तात्रेय जाधव निवासी खारघर, नवी मुंबई की करीब 10 गाड़ियां जबलपुर-नागपुर नेशनल हाईवे से होकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में माल सप्लाई करती हैं। बुधवार को जब उनकी गाड़ी क्रमांक डीडी 01 पी 09764 को वाहन चालक जय सिंह यादव लेकर जा रहा था। गाड़ी जैसे ही नागपुर जबलपुर हाइवे बरगी से गुजर रही थी, तब ड्यूटी पर तैनात आरटीओ आरक्षक श्वेता अहिरवार और उसका सहयोगी मोहित साहू ने वाहन को बिना किसी रुकावट के निकलने देने के बदले 4,500 रुपये की रिश्वत मांग की।

जाल बिछाया, रकम थमाई और धरदबोचा

शिकायत पर लोकायुक्त ने सत्यापन के बाद तत्काल जाल बिछाया। जैसे ही हाईवे पर निर्धारित स्थान पर चालक ने आरक्षक के इशारे पर उनके साथी मोहित साहू को रिश्वत की रकम थमाई, सादे कपड़ों में तैनात लोकायुक्त ट्रेप दल में शामिल निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक शशि मर्सकोले, निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया, निरीक्षक जीतेंद्र यादव ने दोनों को दबोच लिया।

कहां तक जुड़े है तार चल रही तफ्तीश

लोकायुक्त पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है । इसके साथ ही अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस अवैध वसूली के तार आरटीओ कार्यालय के अलावा और कहां कहां जुड़े है और इस अवैध वसूली के धंधे में और कौन-कौन शामिल है।

मुख्य डाकघर-पासपोर्ट दफ्तर को बम से उड़ाने धमकी

सुबह 11 बजे पहुंचे मेल से हड़कंप बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड ने 2 घंटे की सर्चिंग, निकली अफवाह

नवभारत, जबलपुर। सिविल लाइन इलाके में बुधवार सुबह 11 बजे उस वक्त दहशत फैल गई, जब मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल पहुंचा । इस ईमेल के बाद न केवल डाक विभाग बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। मामले की सूचना दोपहर 12 बजे मिलते ही तत्काल पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंच गई। दोपहर 1 बजे से डाकघर, पासपोर्ट दफ्तर की सर्चिंग शुरू हुई। दोपहर 3 बजे तक चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। लगातार दो घंटे चली सर्चिंग में विस्फोटक सामग्री नहीं मिली जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पुलिस अब ईमेल की जड़ तक पहुँचने में जुट गई है। साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है।

हेड पोस्ट ऑफिस कार्यालय कराया खाली

जानकारी के अनुसार सिविल लाइन में मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय है। बुधवार सुबह 11 बजे कार्यालय प्रभारी के सिस्टम पर एक अज्ञात मेल आया, जिसमें दोनों परिसर को बम से दहलाने की सीधी चेतावनी दी गई थी। प्रभारी ने इसकी सूचना दोपहर 12 बजे तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद कंट्रोल रूम ने बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को सूचित किया । इसके बाद टीमें मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय पहुंच गई और बिना देर किए सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को खाली करा लिया गया और आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई।

पार्सल, फाइलों की जांच, चप्पे-चप्पे में सर्च

सर्च ऑपरेशन दो घंटे तक लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया । टीम ने डाकघर के पार्सल रूम, फाइलों के रैक, कंप्यूटर लैब और पासपोर्ट कार्यालय के हर कोने की बारीकी से जांच की। इस सघन सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार यह किसी की शरारत या सनसनी फैलाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

कहां से पहुंचा मेल चल रही विवेचना

बम स्क्वॉड जबलपुर निरीक्षक पंकज सिंह ने बताया कि दोपहर 12 बजे सूचना मिली कि हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मेल पहुंचा था। मामले की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुँची और बारीकी से चैकिंग की गई। लिफाफे पार्सल की जांच हुई। ग्राहकों, आवेदकों की भी चैकिंग हुई लेकिन कोई भी विस्फोटक सामग्री या आपत्तिजन वस्तु नहीं मिली। मेल कहां से आया इसकी विवेचना चल रही है।